ग्राम पंचायत बेहड जस्वां, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025
भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बेहड जस्वां, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती नीलम कुमारी	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राकेश कुमार	01.04.2024 से 12.12.2024
2.	श्री बलविंदर सिंह	13.12.2024 से 27.01.2025
3.	श्री विकास चौधरी	28.01.2025 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बेहड जस्वां के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4.1 (क) 4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण आये अन्तर बारे	2.70
2)	4.3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) रोकड़ बही में अनुचित / असमर्थित समायोजन प्रविष्टियाँ पाया जाना	1.64
3)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	54.05
4)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	2.25
5)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.02
6)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क की कम वसूली करना	0.01
7)	8.1	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय	5.87
8)	8.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	4.26
9)	8.3	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.64
10)	8.4	स्त्रोत पर जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.10
11)	8.5	निर्माण सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण अधिक भुगतान।	0.07
12)	9	व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	7.65

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

ग्राम पंचायत बेहड जस्वां के गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

1) **गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017**

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा- 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹7200 की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या 314222 दिनांक 27.11.17 द्वारा कर ली गई है।
2.	पैरा- 4	अनिर्णीत	
3.	पैरा- 5 (क)	निर्णीत	गृहकर की वसूली की पुष्टि उपरांत।
4.	पैरा- 5 (ख)	अनिर्णीत	
5.	पैरा- 5 (ग)	अनिर्णीत	
6.	पैरा- 6	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुन: प्रारूपित
7.	पैरा- 7	अनिर्णीत	
8.	पैरा- 8	अनिर्णीत	
9.	पैरा- 9	अनिर्णीत	
10.	पैरा- 10	अनिर्णीत	
11.	पैरा- 11	अनिर्णीत	
12.	पैरा- 12	निर्णीत	अधिक भुगतान ₹900 की वसूली की पुष्टि उपरांत।
13.	पैरा- 13	अनिर्णीत	
14.	पैरा- 14	अनिर्णीत	
15.	पैरा- 15	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10.1 में पुन: प्रारूपित।
16.	पैरा- 16	अनिर्णीत	
17.	पैरा- 17	अनिर्णीत	
18.	पैरा- 18	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बेहड जस्वां, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री पंकज भरारिया, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 02.06.2025 से 04.06.2025 व श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 31.05.2025 से 04.06.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	03/2025	03/2025

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत बेहड जस्वां, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹6200** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16/2025 दिनांक 04/06/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत बेहड जस्वां द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित अम्ब के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 315700 दिनांक 05/06/2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4.1 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत बेहड जस्वां द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 274/2025 दिनांक 31/05/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान तीन रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online, स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) Online व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2024-25	5624009.9	7379997.63	13004007.53	7598907.38	5405100.15

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बेहड जस्वां के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में **₹269592** का अन्तर था :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	5405100.15
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	**5065907.15**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	69601.00
4)	**योग (2+3)**	**5135508.15**
5)	**अन्तर (1-4)**	**269592.00**

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹2.70 लाख का भारी अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना

अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को **निम्न विवरणानुसार** स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) शीर्ष की रोकड बही एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹269592** का भारी अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 279/2025 दिनांक 31/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 216 दिनांक 04/06/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

1	2	3	4	5
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बही का अन्तशेष**	**दिनांक 31.03.2025 को बैंक व हस्तगत शेष का योग**	**अन्तर (3-4)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित)	5405100.15	5135508.15	269592.00

4.3 स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) रोकड़ बही में राशि ₹1.64 लाख की अनुचित / असमर्थित समायोजन प्रविष्टियाँ पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रत: में प्रविष्टि की जाएगी व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई जाएंगी |

अंकेक्षण के दौरान स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि रोकड़ बही में राशि **₹163833 की** भुगतान प्रविष्टि दर्ज की गई थी, जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है, जिसके समर्थन में कोई बिल / समर्थित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया व बैंक पासबुक से मिलान करने पर भी इस प्रकार का कोई लेन-देन नहीं पाया गया, जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ अनुचित / असमर्थित प्रतीत होती हैं :-

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या**	**दिनांक**	**रोकड़ बही अनुसार भुगतान का विवरण**	**राशि (₹)**
1	XVFC/2024-25/P/67	31.03.2025	विवरण दर्ज नहीं है	63833
2	5THSFC/2024-25/P/14	31.03.2025	यथोपरि	100000
			योग	**163833**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12/2025 दिनांक 04.06.2025 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 216 दिनांक 04.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को त्रुटी स्वीकार करते हुए बताया गया कि केवल रोकड़ बही का बैंक से मिलान करने हेतु उक्त प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में दर्ज की गई थी, जबकि वास्तव में उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है | उत्तर संतोषजनक नहीं है | अत: इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर रोकड़ बही की विस्तृत जाँच की जाए व तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

4.4 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना :

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 274/2025 दिनांक 31/05/2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 214 दिनांक 04/06/2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹54.05 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया

जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 274/2025 दिनांक 31/05/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹5405100.15** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है । अत: उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 274/2025 दिनांक 31/05/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 214 दिनांक 04/06/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 274/2025 दिनांक 31/05/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 214 दिनांक 04/06/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए

प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹2.25 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 274/2025 दिनांक 31/05/2025 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 214 दिनांक 04/06/2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹225429 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	191629	33800	225429	0	225429

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.02 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹2000 सलंग्न परिशिष्ट "ग" अनुसार** वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	2000

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04/2025 दिनांक 02/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 216 दिनांक 04/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजिकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट "ग" में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹1000** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2024-25	1000

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03/2025 दिनांक 02/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 216 दिनांक 04/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके राशि को राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

7.4 विवाह पंजीकरण शुल्क से ₹200 की प्राप्त आय का सम्भावित दुरूपयोग :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 दौरान **निम्न विवरणानुसार** रसीद संख्या 85227 दिनांक 07.08.2024 द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹200** की राशि प्राप्त की गई दर्शाई थी, लेकिन उक्त राशि को न तो रोकड़ बही के रोकड़ शेष में दर्शाया गया था तथा न ही बैंक में जमा करवाया गया था | फलस्वरूप उक्त **₹200** की राशि का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है । इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05/2025 दिनांक 02/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 216 दिनांक 04/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही में कम दर्ज राशि **₹200** के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

क्रम संख्या	**रसीद संख्या**	**शादी पंजीकरण शुल्क से प्राप्त राशि (₹)**	**रोकड़ बही में दर्ज गई राशि (₹)**	**कम दर्ज की गई राशि (₹)**
1	85227 dtd. 07.08.2024	200	0	200
			योग	**200**

7.5 निर्धारित सीमा से अधिक राशि को हस्तगत रखना :-

पंचायत की रोकड़ बही की जाँच दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार** निर्धारित सीमा **₹1000** से अधिक राशि को हस्तगत रखा गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल **₹1000** तक की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है | ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई तथा दिनांक 31/03/2025 को निर्धारित दर से अधिक राशि नगद रखी गई | अत: उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 15/2025 दिनांक 04/06/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर सचिव द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः भविष्य में उपरोक्त नियम अनुसार ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए ।

क्रम संख्या	मास	हस्तगत राशि ₹
1.	04/2024 से 06/2024	69530
2.	07/2024 से 10/2024	69058
3.	11/2024 से 02/2025	69232
4.	03/2025	69601

8.1 ₹5.87 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाईल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2025 में **₹587216** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाईल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07/2025 दिनांक 03/06/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 216 दिनांक 04/06/2025 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाईल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाईल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	बिल संख्या	दिनांक	विवरण	भुगतान राशि(18% GST सहित)
1	15th fc	442	11.02.2025	3000 टाईल / पेवर @ 15.56 प्रति पेवर	46680

2	15^{th} fc	448	13.02.2025	3000 टाईल / पेवर @ 15.56 प्रति पेवर	46680
3	15^{th} fc	449	14.02.2025	3000 टाईल / पेवर @ 15.56 प्रति पेवर	46680
4	15^{th} fc	450	15.02.2025	3000 टाईल / पेवर @ 15.56 प्रति पेवर	46680
5	15^{th} fc	451	16.02.2025	3000 टाईल / पेवर @ 15.56 प्रति पेवर	46680
6	15^{th} fc	452	17.02.2025	3000 टाईल / पेवर @ 15.56 प्रति पेवर	46680
7	15^{th} fc	453	18.02.2025	3000 टाईल / पेवर @ 15.56 प्रति पेवर	46680
8	15^{th} fc	454	19.02.2025	3000 टाईल / पेवर @ 15.56 प्रति पेवर	46680
9	15^{th} fc	527	21.02.2025	3000 टाईल / पेवर @ 15.56 प्रति पेवर	46680
10	NDRF	379	03.12.2024	3000 टाईल / पेवर @ 15.80 प्रति पेवर	47400
11	NDRF	266	02.07.2024	3000 टाईल / पेवर @ 15.80 प्रति पेवर	47400
12	NDRF	264	01.07.2024	1500 टाईल / पेवर @ 15.80 प्रति पेवर	23700
13	NDRF	380	04.12.2024	1500 टाईल / पेवर @ 15.80 प्रति पेवर	23700
14	VKVNY	447	12.02.2025	1600 टाईल / पेवर @ 15.56 प्रति पेवर	24896
				योग	**587216**

8.2 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.26 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) शीर्ष के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार ₹425893** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09/2025 दिनांक

3/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 216 दिनांक 04/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	15TH FC	P/41	007 03.02.25	AMANDEEP SINGH GOVT. CONT. DILWAN	Sand, Agg.	15950
2	15TH FC	P/42	018 26.02.25	AMANDEEP SINGH GOVT. CONT. DILWAN	Sand, Agg.	7800
3	15TH FC	P/51	021 26.02.25	AMANDEEP SINGH GOVT. CONT. DILWAN	Sand, Agg.	20600
4	15TH FC	P/52	020 26.02.25	AMANDEEP SINGH GOVT. CONT. DILWAN	Sand, Agg.	19150
5	15th FC	P/53	016 03.02.25	DEVINDER ELEC. WORKS BEHAR JASWAN	Electric Material	5200
6	15th FC	P/55	028 10.03.25	AMANDEEP SINGH GOVT. CONT. DILWAN	Mixture	3120
7	15th FC	P/56	027 10.03.25	AMANDEEP SINGH GOVT. CONT. DILWAN	Mixture, Local Carriage etc.	8595
8	15th FC	P/57	025 10.03.25	AMANDEEP SINGH GOVT. CONT. DILWAN	Mixture, Local Carriage etc.	7329
9	15th FC	P/58	026 10.03.25	AMANDEEP SINGH GOVT. CONT. DILWAN	Mixture, Local Carriage etc.	5580
10	MPLADS	P/1	305-306 09.12.25	M/S PANDIT TRADING CO. CHURURU	STEEL	62933
11	MPLADS	P/2	346 02.02.25	M/S PANDIT TRADING CO. CHURURU	STEEL	24808
12	SDP	P/3	001 -004 06.08.24, 10.08.24, 11.08.24	AMANDEEP SINGH GOVT. CONT. DILWAN	मिट्टी भर्ती	159175
13	OWN	P/52	574 07.01.25,	M/S S.D. AQUA ACCESSORIES PUCCA PAROH	SANITARY MATERIAL	10560
14	OWN	P/52	008 01.01.25	MAHADEV ALUMINIUM CHAKSARAI	DOOR	6000

15	OWN	P/53	17 14.02.25	DEVENDER ELEC. WORKS BEHAR JASWAN	ELECTRIC ITEMS	2000
16	OWN	P/53	221 21.01.25	MAHADEV MARBLES & TILES AMB	WALL TILES	6739
17	VKVNY	P/9	438 17.12.24	M/S ANKIT ENTERPRISES AMB	STEEL	60354
					योग	**425893**

8.3 ₹0.64 लाख की खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्लयू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 03/2025 में **निम्न विवरणानुसार ₹63500** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13/2025 दिनांक 04/06/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 216 दिनांक 04/06/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित ट्रांजिट पास फार्म जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित फार्म शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाए।

क्रम संख्या	मद का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	राशि (₹)
1	15th fc	निर्माण डंगा आवादी विजय कुमार	07 03.02.2025	Amandeep Singh Govt. Cont. Dilwan	Sand, Agg. etc	15950
2	15th fc	निर्माण रास्ता	018	Amandeep Singh	Sand, Agg.	7800

		नजीर मोहम्मद से आवादी रसूल मोहम्मद	26.02.2025	Govt. Cont. Dilwan	etc	
3	15^{th} fc	निर्माण रास्ता लिंक रोड से सत्संग की ओर	021 26.02.2025	Amandeep Singh Govt. Cont. Dilwan	Sand, Agg. etc	20600
4	15^{th} fc	निर्माण रास्ता राम लोक के घर से कांता देवी	020 26.02.2025	Amandeep Singh Govt. Cont. Dilwan	Sand, Agg. etc	19150
					योग	**63500**

8.4 स्त्रोत पर ₹0.10 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "घ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹506000** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹10120** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि	योग	जी.एस.टी.टी.डी. एस. की कटौती योग्य राशि
1	2024-25	M & M SOAMI TILES CHAK	पेवर / ब्लॉक्स	506000	506000	10120 (2% x 506000)
				योग	**506000**	**10120**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 17/2025 दिनांक 04/06/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 216 दिनांक 04/06/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹10120** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.5 निर्माण सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के चयनित माह 03/2025 में स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से करवाए गए **निम्नानुसार** निर्माण कार्य कि जाँच दौरान पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री सरिये का निष्पादन कम किया गया दर्शाया गया था, जबकि इस कार्य के लिए निर्माण सामग्री का क्रय आवश्यकता से अधिक किया गया था और शेष बची हुई सामग्री को सामग्री स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था | इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण **₹6660** का अधिक भुगतान किया गया था | अत: इस अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08/2025 दिनांक 03/06/2025 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 216 दिनांक 04.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान की गई राशि **₹6660** के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

क) कार्य का नाम :- C/O BUILDING GPS DHAR GUJRAN

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा	सरिया (In KG)
8626 83	STEEL REINFORCEMENT FOR RCC WORK 12MM Steel	299.1	266 (299.1×0.89)
		योग	**266**

	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 42, 41 अनुसार जारी / खपत मात्रा	**350**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री	84
	क्रय दर	79.29 प्रति किलो ग्राम
	अधिक भुगतान (84×79.29)	**6660**

9 ₹7.65 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2025 में **सलंग्न परिशिष्ट "ङ" में** वर्णित कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹764839** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, 34 नंबर फार्म, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11/2025 दिनांक 04/06/2025 द्वारा अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 216 दिनांक 04/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

10.1 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 275/2025 दिनांक 31/05/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 215 दिनांक 04/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	बिल रजिस्टर	13	48

10.2 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06/2025 दिनांक 02/06/2025 द्वारा पंचायत सचिव से रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के अनुसार बनाया जाना वांछित था | प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 216 दिनांक 04/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सचिव द्वारा रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया, जिसे नियमानुसार बनाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | अत: वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

10.3 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था | परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय

वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं था, जिनके कुछ उदाहरण निम्र प्रकार से है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14/2025 दिनांक 04.06.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 216 दिनांक 04.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा |

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री का नाम	राशि
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	266, 02.07.2024	Paver / blocks	47400
2	यथोपरि	264, 01.07.2024	Pever / blocks	23700
3	यथोपरि	346, 02.02.25	Steel	24808
4	यथोपरि	017527, 20.03.25	cement	26811
5	यथोपरि	305, 07.12.24	Steel	47009

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 274/2025 दिनांक 31/05/2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 214 दिनांक 04/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 07-7-25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

4247-4251 07 JUL 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(XV)(5)30/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।
5. सचिव, ग्राम पंचायत बेहड़ जस्वां, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

(कृष्ण लाल नेगी) 07-7-25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

परिशिष्ट "क"   पैरा संख्या 4-1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत बेहड जस्वां, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष**	**आय ब्याज सहित**	**कुल योग(3+4)**	**व्यय**	**अंतिम शेष(5-6)**
1	2024-25	5624009.9	7379997.63	13004007.53	7598907.38	5405100.15

सचिव
ग्राम पं...
वि0 ख0 अम्ब जि0 ऊना (हि0 प्र0)

ग्राम पंचायत बेहड जस्वां, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	5624009.9	4194788	9818797.9	4413697.75	5405100.15

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2692460.6	2250302	4942762.6	2418502	2524260.6

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2931549.3	1944486	4876035.3	1995195.75	2880839.55

सचिव
ग्राम पंचायत
वि0 ख0 अम्ब जि0 ऊना (हि0 प्र0)

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	2720273.63	2720273.63	2720273.63	0

3) स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	464936	464936	464936	0

सचिव
ग्राम पंचायत
वि0 ख0 [illegible] (उ0 प्र0)

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4 (1) का अंतशेष	5405100.15
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**5065907.15**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	69601.00
4)	**योग (2+3)**	**5135508.15**
5)	**अन्तर (1-4)**	**269592.00**

सचिव
ग्राम पंचायत
वि0 ख0

परिशिष्ट 'क-1'

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Amb (Planning & Own)	20009003220	2126336.60
	HDFC Amb (15th fc)	50100340115820	2926685.55
	HDFC Amb (14th fc)	50100241200262	846.00
	HDFC AMB	50100137499927	1164.00
	KCCB Amb (IAY)	20009003683	10875.00
		योग	**5065907.15**
2		**हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान समेकित)**	69601.00
		योग (1+2)	**5135508.15**

सचिव
ग्राम पंचायत
वि0 ख0 [illegible]

परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बेहड जस्वां, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	191629	33800	225429	0	225429

सचिव
ग्राम पंचायत बेहड़ जस्वां
वि0 ख0 अम्ब जि0 ऊना (हि0 प्र0)

परिशिष्ट 'ग' पैरा संख्या 7-2 व 7-3 के सन्दर्भ में।

ग्राम पंचायत बेहड़ जस्वा विकास खंड अम्ब जिला ऊना							
शादी पंजीकरण रिपोर्ट 01/04/2024 से 31/03/2025							
क्र.स.	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	बसूली योग्य राशी	बसूली गई राशी	कम बसूली गई राशी
1	राहुल कुमार पुत्र कुलदीप चंद	18/04/2024	1/5/2024	85207	200	200	0
2	रघुबीर सिंह पुत्र बलवंत सिंह	18/04/2024	8/5/2024	0	200	0	200
3	विवेक शर्मा पुत्र तिलक राज	18/04/2024	15/5/2024	0	200	0	200
4	शुभम चौधरी पुत्र शाम सुंदर	19/07/2024	7/8/2024	85227	200	200	0
5	अभिषेक राणा पुत्र वकील सिंह	11/8/2024	4/9/2024	85235	200	200	0
6	कैलाश दीपक पुत्र जगदीश राम	3/11/2024	22/11/2024	85239	200	200	0
7	रोहित वर्मा पुत्र संजीव कुमार	3/11/2024	18/1/2025	0	400	0	400
8	अनिल कुमार पुत्र राज कुमार	27/11/2024	6/2/2025	85252	400	400	0
9	मोहित आंगरा पुत्र बनवारी लाल	10/4/2024	10/2/2025	85253	400	400	0
10	मुकेश कुमार पुत्र बलविंदर कुमार	14/02/2025	1/3/2025	85256	200	200	0
11	शहीद मोहम्मन्द पुत्र नेक मोहम्मन्द	9/2/2025	4/3/2025	0	200	0	200
12	सुलतान मोहम्मन्द पुत्र गुलाब दीन	23/02/2025	11/3/2025	85257	200	200	0
				कुल	3000	2000	1000

सचिव
ग्राम ...
वि0 ख0 ... (हि0 प्र0)

परिशिष्ट 'च'   पैरा संख्या 8.5 के सन्दर्भ में।

ग्राम पंचायत बेहड़ जस्वा विकास खंड अम्ब जिला ऊना				
माह 03/2025 में एम् एंड एम् स्वामी टाइल्स चक को किए गए कुल भुगतान का विवरण				
क्र.स.	योजना	वाउचर संख्या	सामग्री का नाम	राशि 18% GST के अतिरिक्त
1	15FC	44	पेवर / ब्लाक	40200
2	15FC	45	पेवर / ब्लाक	40200
3	15FC	46	पेवर / ब्लाक	40200
4	15FC	47	पेवर / ब्लाक	40200
5	15FC	48	पेवर / ब्लाक	40200
6	15FC	49	पेवर / ब्लाक	40200
7	15FC	50	पेवर / ब्लाक	40200
8	15FC	61	पेवर / ब्लाक	40200
9	15FC	62	पेवर / ब्लाक	40200
10	NDRF	71	पेवर / ब्लाक	40920
11	NDRF	82	पेवर / ब्लाक	40920
12	NDRF	88	पेवर / ब्लाक	20460
13	NDRF	89	पेवर / ब्लाक	20460
14	VKVNY	90	पेवर / ब्लाक	21440
			TOTAL	506000

सचिव
ग्राम प
वि0 ख0 ... ऊना (हि0 प्र0)

परिशिष्ट 'ड'

पैरा संख्या 9 के सन्दर्भ में

व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि	टिप्पणी
1	MPLADS	03/25	BUILDING GPS DHAR GUJRAN	305-306 09.12.25, 346 02.0225, 100232 (01.02.25 TO 28.02.25)	STEEL, LABOR	129041	प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, 34 नंबर फार्म, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
2	VKVNY	03/25	PATH LINK ROAD TO ACHAR MOHD.	017441 08.01.25, 100228 (01.02.25 TO 15.02.25)	CEMENT, LABOR	24632	यथोपरि
3	VKVNY	03/25	PATH HANDPUMP TO NAJEER MOHD.	100221 (01.11.24 TO 09.11.24), 379 03.12.24	LABOR, PAVERS	61416	यथोपरि
4	VKVNY	03/25	PUCCA PATH TANK TO NOOR BIBI	100222 (01.11.24 TO 16.11.24), 380 04.12.24, 447 12.02.25	LABOR	99808	यथोपरि
5	VKVNY	03/25	HOUSE KARTAR CHAND	100226 (01.02.25 TO 13.02.25), 438 17.12.24, 017411 18.12.24	LABOR, STEEL, CEMENT	119983	यथोपरि
6	VKVNY	03/25	C/O GRAMIN SAMPARAK	1562 27.023.25	CEMENT	19150	प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, 34 नंबर फार्म,

सचिव
ग्राम पंचायत
वि० ख० ... (हि० प्र०)

			MARG NEAR RAFI MOHD.				तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
7	VKVNY	03/25	C/O PATH NEAR LIYAKAT ALLI	1563 27.03.25	CEMENT	26811	यथोपरि
8	VKVNY	03/25	PUCCA PATH ASHWANI KUMAR GYAN CHAND	7524 20.03.25	CEMENT	28726	यथोपरि
9	SDP	03/25	C/O PLAYGROUND GSSS BEHAR JASWAN नोट :- उक्त क्रय ट्रालियों में किया गया है, जबकि क्रय क्यूविक फीट में किया जाना अपेक्षित था।	001 -004 06.08.24, 10.08.24, 11.08.24	मिट्टी भर्ती	159175	यथोपरि
10	SDRF	03/25	PATH WELL TO ABADI AMRIK SINGH	100220 (14.11.24 TO 28.11.24), 100223 (01.12.24 TO 12.12.24)	LABOR	51648	यथोपरि
11	OWN	03/25	TOILET AGANBADI CHAK	574 07.01.25, 008 01.01.25, 17 19.02.25, 221 21.01.25	SANITARY MATERIAL, TILES	25299	यथोपरि
12	OWN	03/25	PUCCA PATH H/O AMAR SINGH TO SHAMSHAN GHAT	525 20.03.25	CEMENT	19150	माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।
					योग	**764839**	

सचिव
ग्राम पंचायत ...
वि0 ख0 ... (हि0 प्र0)